

प्रशासनिक, वित्तीय एवं राशि आहरण आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 17425827 दिनांक 27.08.2025 एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक राजकाज रैफ 17778247 दिनांक 07.10.2025 एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक राजकाज रैफ 18259692 दिनांक 28.10.2025 के द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025-26 के क्रम में Quality Interventions- 3.2 - Training for Inservice Teacher and Head Teachers- 3.2.1 - In-Service Training (IX - XII) 3.2.1.2-Teachers Class XI to X (Government Schools) अन्तर्गत ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय Science & Maths Teachers प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार Single Nodal Account (SNA) खातों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का समग्र शिक्षा के "संचालन पोर्टल" Single Nodal Account (SNA), SBI खाता संख्या 40469910973, गांधीनगर, जयपुर से आपके जिले के सम्मुख अंकित आहरण सीमा के 55 प्रतिशत तक वित्तीय स्वीकृति तथा राशि के आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

S.N.	Block	Count of Schools having 6-10	2 Teachers per school (Science & Math)	Amount to be withdrawn (No of Teachers x 3 days x Rs 500)	Limit Released @55%
1	AMBER	71	134	201000	110550
2	ANDHI	72	134	201000	110550
3	BASSI	107	200	300000	165000
4	CHAKSU	92	172	258000	141900
5	DUDU	62	116	174000	95700
6	GOVINDGARH	206	384	576000	316800
7	JAIPUR EAST	73	136	204000	112200
8	JAIPUR WEST	90	168	252000	138600
9	JALSU	82	154	231000	127050
10	JAMWA RAMGARH	102	190	285000	156750
11	JHOTWARA	46	86	129000	70950
12	JHOTWARA CITY	63	118	177000	97350
13	JOBNER	70	130	195000	107250
14	KISHANGARH RENWAL	75	140	210000	115500
15	KOTKHAWADA	72	134	201000	110550
16	KOTPUTLI	105	196	294000	161700
17	MADHORAJPURA	63	118	177000	97350
18	MAUZAMABAD	75	140	210000	115500
19	PAOTA	99	186	279000	153450
20	PHAGI	65	120	180000	99000
21	SAMBHAR LAKE	88	164	246000	135300
22	SANGANER	109	204	306000	168300
23	SANGANER CITY	64	120	180000	99000
24	SHAHPURA	148	276	414000	227700
25	TUNGA	74	138	207000	113850
26	VIRATNAGAR	132	246	369000	202950
TOTAL		2305	4304	6456000	3550800

(अक्षरे- पैतीस लाख पचास हजार आठ सौ रु. मात्र)

उक्त गतिविधि स्टार परियोजना 2025-26 में अनुमोदित है। उक्त राशि का उपयोग निम्न प्रावधान अनुसार किया जाएगा—

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

बजट मद— Quality Interventions- 3.2 - Training for In-service Teacher and Head Teachers

3.2.1 - In-Service Training (IX - XII)

2-Teachers Class XI to X (Government Schools)

(ओम प्रकाश सैनी)

अति. जिला परियोजना समन्वयक

समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:—

1. श्रीमान अति. राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप जयपुर।
2. श्रीमान उपायुक्त -द्वितीय, रास्कूलशिप जयपुर।
3. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. लेखा शाखा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ब्लाकों को लिमिट देना सुनिश्चित करें।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, जयपुर/ कोटपुतली-बहरोड ।
6. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला परियोजना समन्वयक

समग्र शिक्षा, जयपुर